Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सवाई माधोपुर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाओं का अध्ययन

परीक्षित हाड़ा*

* शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तिय प्रबंध विभाग, राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – औद्योगीकरण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास की गति किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सामाजिक–आर्थिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, उत्पादन स्तर, जनसंख्या वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि इन उद्योगों की आधारशिला को निर्धारित करते हैं। एमएसएमई से तात्पर्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग है जो देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में एमएसएमई सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। एमएसएमई उत्पादन करने वाली इकाई एवं सेवा देने वाली इकाई दो प्रकार के होते हैं।

सरकार द्वारा समय–समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए श्रेणी एवं सीमा का निर्धारण किया जाता रहा है। सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिनमें एक करोड़ रुपए के निवेश के साथ 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होता है। लघु उद्योग में उन उद्योगों को रखा गया है जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का हो। मध्यम उद्योग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग हैं जिनमें 50 करोड़ के निवेश के साथ 250 करोड़ टर्नओवर होता है।

राष्ट्र के आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोर्स फाउंडेशन की सिफारिश के आधार पर विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की स्थापना 1954 में लघु उद्योग विकास संगठन के रूप में हुई थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अधिनियमित होने पर संगठन का नामकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संगठन हो गया।

तालिका सं. 1: देश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के अनुमानित संख्या (कार्यकलाप वार लाख में)

कार्यकलाप श्रेणी	ग्रामीण	शहरी	कुल	हिस्सा प्रतिशत
विनिर्माण	114.14	82.50	196.65	31
इलेक्ट्रिसिटी	0.03	0.01	0.03	–
ट्रेड	108.71	121.64	230.35	36
अन्य सेवाएं	102.00	104.85	206.85	33
सभी	324.88	309.00	633.88	100

स्रोत :– एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019–20

तालिका सं. 2: श्रेणीवार उद्यमों का वितरण (संख्या लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा प्रतिशत में
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
सभी	630.52	3.31	0.05	633.88	100

स्रोत : – एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019–20

एमएसएमई के केंद्रीय मंत्रालय में विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा आयोजित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में महाराष्ट्र 96,805 उद्यमों के साथ भारत का शीर्ष नेतृत्वकर्ता राज्य है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु 42,997 व्यवसायों के साथ है, जबकि राजस्थान 38,517 इकाइयों के साथ तीसरे स्थान पर है। पंजाब 24,503 यूनिट, उत्तर प्रदेश 36,913 यूनिट, और कर्नाटक 28,803 यूनिट क्रमश: चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर हैं। 23 जनवरी, 2022 तक पूरे भारत में 4,53,972 अनुसूचित जाति के स्वामित्व वाले व्यवसाय थे जिनमें से 4,50,835 सूक्ष्म, 3,004 लघु और 133 मध्यम आकार के व्यवसाय थे।

वास्तविक अर्थों में वर्तमान समय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों का योगदान विनिर्माण क्षेत्र के कुल निर्गत के 50% से अधिक है और रोजगार में अवसर पैदा करने में वृहद उपक्रमों की तुलना में पांच गुना अधिक है। एमएसएमई रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही स्थानीय संसाधनों का उपयोग भी सुनिश्चित करता है। यह संसाधनों का उपयोग करने के लिए भुगतान किया जाता है जिससे कि वहां के लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होती है। एमएसएमई तकनीकी सृजन को सशक्त करते हुए उद्यमिता का विकास करता है।

एमएसएमई श्रम गहन होते हैं इसीलिए अत्यधिक वृद्धि संभावना के अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन की स्थिति भी अधिक होती है। यह क्षेत्र अप्रशिक्षित और उपेक्षित प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करता है एवं उन्हें नियोजित करने के अवसर भी प्रदान करता है। बड़े उद्योग एमएसएमई का उपयोग प्रशिक्षित मानव शक्ति के स्रोत के रूप में करते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ये उद्योग रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार के प्रमुख स्रोत हैं।

देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को

प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। इनमें औपचारिकता, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे का विकास, ऋण सहायता, टिकाऊ प्रथाओं, कौशल विकास और बाजार सहायता शामिल हैं। कुछ प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसएमई चौंपियंस योजना, क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), और राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) सम्मिलित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य एमएसएमई को औपचारिक दायरे में लाना, उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।

हाल के वर्षों में सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रमुख पहल की हैं। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड, उद्यम पंजीकरण, और उद्यम सहायता मंच (यूएपी) का शुभारंभ शामिल है। इसके अतिरिक्त, 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन (आरएएमपी) कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। एमएसएमई चौंपियंस योजना का उद्देश्य एमएसएमई की विनिर्माण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना, बर्बादी को कम करना, नवीनता को प्रोत्साहित करना और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेडईडी), एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) और एमएसएमई-इनोवेटिव घटक शामिल हैं, जो एमएसएमई को गुणवत्ता और स्थिरता की दिशा में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम और नए प्रौद्योगिकी केंद्रोंध्विस्तार केंद्रों की स्थापना के माध्यम से, सरकार एमएसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता, आयात प्रतिस्थापन, और उच्च-स्तरीय कौशल प्रदान कर रही है। जून 2020 में शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल 'चौंपियंस' के माध्यम से शिकायतों के निवारण और ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। एमएसएमई के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश, एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रमुख उपाय हैं।

इसके अतिरिक्त, खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में सम्मिलित करने, गैर-कर लाभों को 3 साल के लिए बढ़ाने, और एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के कोष में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश करके, एमएसएमई के विकास को गति दी जा रही है। इन पहलों के माध्यम से, सरकार एमएसएमई को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त बना रही है।

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिनमें वित्तीय बाधा सबसे प्रमुख है। भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटी फर्मों और व्यवसायों के लिए वित्त तक पहुँच हमेशा से समस्याग्रस्त रही है, और केवल 16% एसएमई को ही समय पर वित्त की सुविधा मिल पाती है, जिससे वे अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर रहने को मजबूर होते हैं। नवाचार की कमी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि अधिकांश एमएसएमई पुरानी प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों का उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है।

एमएसएमई में सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की हिस्सेदारी 80% से अधिक है और संवाद एवं जागरूकता की कमी के कारण वे सरकार की विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा एमएसएमई में औपचारिकता का अभाव है जिससे क्रेडिट अंतराल बढ़ता है। देश में विनिर्माण क्षेत्र के लगभग 86% एमएसएमई पंजीकृत नहीं हैं, और केवल 1.1 करोड़ एमएसएमई ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत पंजीकृत हैं।

बढ़ते घाटे और कर्ज, उचित वित्तीय सहायता की कमी और बैंकों से फंडिंग का प्रतिरोध एमएसएमई के विकास में बाधा डालते हैं। भारत में एमएसएमई अक्सर अपनी वित्त पोषण आवश्यकताओं के लिए एनबीएफसी की ओर रुख करते हैं, जो सितंबर 2018 से अपने आप में एक तरलता संकट का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई के एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) बढ़ रही हैं, जो उनके 17.33 लाख करोड़ रुपये के कुल एडवांस का 9.6% है। महामारी के दौरान सरकार द्वारा कठोर तालाबंदी की घोषणा के बाद हजारों एमएसएमई या तो बंद हो गए या बीमार पड़ गए और पुनर्गठन योजनाओं और पैकेजों से लाभान्वित नहीं हो सके।

एमएसएमई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। अप्रत्याशित आउटेज, खराब सड़कों, अप्रभावी तूफानी जल निकासी, अपर्याप्त सीवेज उपचार सुविधाओं और अपर्याप्त सबस्टेशन के साथ खराब बिजली का परिणाम एमएसएमई के कार्यशीलता को प्रभावित करता है। भारत का अधिकांश एमएसएमई क्षेत्र पुरानी तकनीक का उपयोग करता है, जो इसके निर्माण की प्रभावशीलता को कम करता है।

औपचारिकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जहां अधिकांश विनिर्माण एमएसएमई अपंजीकृत हैं, और केवल लगभग 1.1 करोड़ एमएसएमई ही माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा, लालफीताशाही, श्रमिकों की भारी कमी, और धीमी उत्पादकता जैसी समस्याएं भी एमएसएमई के विकास में बाधा डालती हैं। कोविड-19 महामारी और जीएसटी का कार्यान्वयन जैसी संरचनात्मक सुधारों ने भी एमएसएमई क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिससे कच्चे माल की खोज और लॉकडाउन के कारण कम या कोई मांग नहीं रही।

वर्तमान इक्कीसवीं सदी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रीय असंतुलन को कम करके ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में एमएसएमई संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हुए अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। राजस्थान एमएसएमई स्थापना और संचालन की सुविधा अध्यादेश, 2019 का प्रमुख उद्देश्य राज्य में आजीविका, समावेशी आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। राजस्थान के सवाई माधोपुर सहित विभिन्न जिलों में एमएसएमई की स्थिति और संभावनाओं को समझने और उन्हें सशक्त बनाने के प्रयासों की आवश्यकता है ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति में इनका अधिकतम योगदान हो सके।

राजस्थान राज्य के सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार उद्योगों की क्षमता को सुधारने और एक सक्षम एवं अनुकूल परिवेश निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिल रहा है। राज्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं, और यह क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक केंद्र और राज्य सरकारों ने औद्योगिक

विकास के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं। भारत और राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय और औद्योगिक तंत्र की अनेक सार्वजनिक इकाइयों की स्थापना की गई है, जो राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

राजस्थान में दिनांक 14 सितम्बर 2015 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार मेमोरेंडम प्रणाली आरंभ की गई है। इसके तहत उद्यम स्थापना से पूर्व पंजीयन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए उत्पादन पश्चात एक स्तरीय उद्योग आधार मेमोरेंडम ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। राजस्थान में 18 सितंबर 2015 से भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार अभिज्ञापन जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है जिससे संबंधित आंकड़े निम्नानुसार है-

तालिका सं 3 : राजस्थान में उद्योग आधारित ऑनलाइन संबंधित आंकड़े (2016-2021)

क्र.	वर्ष	ऑनलाइन जारी UAM संख्या	रोजगार के प्रस्ताव संख्या	नियोजन करोड रुपए
1	2016-17	99340	572210	15 051.00
2	2017-18	102515	439289	10 917.08
3	2018-19	104584	465445	11589.64
4	2019-20	105334	447326	11539.73
5	2020-21	29185	169395	6058.44

स्रोत :- इकोनामिक रिव्यू ऑफ राजस्थान (2020-21)

एमएमएसई को लेकर बनाई गई नीतियों ने भी प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को संवारने का काम किया जिसमें सवाईमाधोपुर जिला भी सम्मिलित है। प्रस्तुत अध्याय में सामाजिक विकास की अवधारणा के साथ सवाई माधोपुर जिलें के सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएमएसई) का योगदान का विस्तृत विवेचन किया गया है। सवाई माधोपुर जिला राजस्थान राज्य के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह जिला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएमएसई) के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करता है।

जिले में वर्तमान में चल रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या और उनके प्रकारों का विश्लेषण किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल हैं।एमएमएसई के माध्यम से जिले में उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों का मूल्यांकन किया गया है। यह देखा गया है कि ये उद्योग स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था में डैडमे के योगदान का विश्लेषण किया गया है। यह पाया गया है कि ये उद्योग जिले की GDP में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सवाई माधोपुर में विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएमएसई) संचालित हैं जिनमें लकड़ी के खिलौनों और खसखस के पंखों का निर्माण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में प्रसिद्ध हैं और स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। 2015 के आंकड़ों के अनुसार सवाई माधोपुर में 13 लघु उद्योग पंजीकृत थे, जिनमें से कोई भी बंद नहीं हुआ बल्कि एक लघु उद्योग की वृद्धि भी हुई।

तालिका सं. 4 : सवाई माधोपुर जिला में पंजीकृत उद्योग 2015

क्र.	उद्योगों के प्रकार	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष में बंद हुए	वर्ष के अंत तक कार्यरत उद्योग
1.	राइस मिल्स	0	0	0
2.	दाल मिल	0	0	0
3.	खाद्य तेल	0	0	2
4.	सेविंग एंड प्लानिंग ऑफ वुड अदर थन प्लाइवुड	0	0	1
5.	अल्प निर्माणिया	0	0	0
6.	मेन्यु ऑफ ह्यूम पाईप	1	0	1
7.	जनरेशन ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी	2	0	3
8.	अन्य निर्माण	10	0	11
	योग	13	0	18

स्रोत:- कार्यालय जिला उद्योग केंद्र, सवाई माधोपुर व आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, जयपुर

वर्तमान समय में सवाई माधोपुर जिले में उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जिससे जिले में रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें और अधिक आर्थिक विकास हो सके। जिले में उद्योग विभाग के अलावा खादी ग्रामोद्योग द्वारा भी हथकरघा एवं ग्रामोद्योग संचालित किए जाते हैं, जो ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन ग्रामोद्योगों में स्थानीय कच्चे माल से तेल घाणियाँ, हथकरघा वस्त्र, चर्म उद्योग, जूती बनाना, नमदा बनाना, गुड़ और खांडसारी, बीड़ी बनाना, कपड़ा रंगना और छापना जैसी वस्तुएँ उत्पादित की जाती हैं, जिनका मुख्य केंद्र सवाई माधोपुर है। जिले में कार्यरत इन ग्रामोद्योगों का संचालन मुख्यत: खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो इन उद्योगों को आवश्यक सहायता राशि प्रदान करता है।

सवाई माधोपुर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएमएसई) के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां वित्तीय संकट, तकनीकी ज्ञान की कमी, विपणन और वितरण की समस्याएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती वित्तीय संकट है जिसमें इन उद्यमों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई और उच्च ब्याज दरें भी उद्यमियों के लिए समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। इसके परिणामस्वरूप कई एमएमएसई अपने संचालन के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर होते हैं जिससे उनके विकास की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।

इसके अलावा तकनीकी ज्ञान की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। एमएमएसई में नवीनतम तकनीकों और साधनों का अभाव होता है, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है। विपणन और वितरण की समस्याएँ भी एमएमएसई के विकास में बाधक होती हैं। उचित विपणन चौनलों की कमी और उत्पादों के वितरण में बाधाओं के कारण इन उद्यमों को अपने उत्पादों के लिए सही बाजार तक पहुँचने में कठिनाई होती है। यह समस्याएँ एमएमएसई के समग्र विकास और सवाई माधोपुर जिले के आर्थिक प्रगति को प्रभावित करती हैं।

सवाई माधोपुर जिले में एमएमएसई के विकास की कई संभावनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. जिले के पर्यटन स्थल और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देकर एमएमएसई को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया जा सकता है।
2. जिले की कृषि आधारित उद्योगों में नवाचार और तकनीकी सुधार लाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।
3. स्थानीय युवाओं और महिलाओं को व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
4. एमएमएसई के उत्पादों के विपणन और वितरण के लिए बेहतर नेटवर्क और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
5. राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और सहयोग कार्यक्रमों का लाभ उठाकर एमएमएसई को मजबूती प्रदान की जा सकती है।
6. सवाई माधोपुर जिले में जिले की समृद्ध कुटीर उद्योग परंपरा, जैसे लकड़ी के खिलौने, खसखस के पंखे, और चर्म उद्योग, को प्रोत्साहित करके इन उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है।
7. स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके उत्पादित वस्तुएँ, जैसे तेल घाणियाँ, हथकरघा वस्त्र, गुड़ और खांडसारी, बीड़ी, कपड़ा रंगना और छापना, आदि को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुँचाया जा सकता
8. तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण के माध्यम से एमएमएसई की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए, स्थानीय उद्यमियों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों और व्यवसाय प्रथाओं के बारे में जागरूक करना आवश्यक है।
9. सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ इस दिशा में सहायक हो सकती हैं। इसके अलावा, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके, जिले के उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे विपणन और वितरण की समस्याएँ कम हो सकती हैं।
10. वित्तीय सहायता और आसान ऋण उपलब्धता भी एमएमएसई के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार द्वारा वित्तीय योजनाओं और सब्सिडी कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को आर्थिक मदद प्रदान की जा सकती है।
11. स्थानीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से एमएमएसई को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और संभावित ग्राहकों और निवेशकों से जुड़ने का अवसर मिल सकता है।

सवाई माधोपुर जिले में एमएमएसई की वर्तमान स्थिति का अध्ययन और संभावनाओं का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि जिले में इन उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए इससे न केवल जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करने का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती लाना, निर्यात को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार और व्यापार करने के लिए बधाओं को कम करना है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र सवाई माधोपुर जिले में एमएमएसई की वर्तमान स्थिति एवं इसके विकास की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अखिलेश कुमार : भारत में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियां एक अध्ययन, पृ. 37-39
2. एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार।
3. आर्थिक समीक्षा 2020-21, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
5. एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय चुनौतियाँ और समाधान, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण, 2020
6. राजस्थान में औद्योगिक विकास के प्रयास, इकोनामिक रिव्यू ऑफ राजस्थान, 2020-21
7. सवाई माधोपुर जिले में एमएसएमई का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, इंडियन जनरल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 2021
8. सवाई माधोपुर जिले में कुटीर उद्योगों का योगदान, राजस्थान औद्योगिक सर्वेक्षण, 2019

****